

श्रीमान्जी

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक - पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2021/282

प्रार्थी सरदूल सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 1 कालियां जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा, मूल रसीद, आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ पेश किया है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि मेरे पिता हरनेक सिंह पुत्र वरयाम सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 1 कालिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 07.02.2020 को करवाई थी उनका स्वर्गवास दिनांक 08.04.2021 को हो चुका है। जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थी को गवाहान हरजीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह एवं पवित्र सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता विनोद चुघ श्रीगंगानगर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

22/10/21

k

is cha

१८